न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
87/22	2.3.22	20.4.22

उनवान

1.वली मोहम्मद पुत्र हांडा खां उम्र करीब 50 साल जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनगिरी उम्र करीब 60 साल पुत्र श्री बुधगिरी जाति गुसाई निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—असल अप्रार्थीगण

3. सम्पत खां उम्र करीब 75 साल पुत्र श्री मुनीरा जाति मेकव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—तर0 अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 251 ए

उपस्थितिः— श्री सतीश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी सं0 1 की एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं0 2 का जवाब

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1984 रकबा 1.3100हे0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर स्थित है जिस आराजी के तरफ पश्चिम को आराजी खसरा संख्या 1983 रकबा 0.3900हे0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर स्थित है । जो आराजी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी।

मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1984 रकबा 1.3100हे0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर स्थित है जिसके आराजी में आने जाने के लिये तरफ पूर्व को सरकारी पाल आराजी खसरा संख्या 1994 स्थित है जो रास्ते के लिये उपयोग उपभोग में आ रही है । सरकारी पाल के तरफ पूर्व को प्रतिवादी की आराजी खसरा संख्या 1983 स्थित हे तथा उसके बाद मिन वाद व तर0प्रति0 की आराजी खसरा संख्या 1984 सिति है । प्रतिवादी की आराजी खसरा संख्या 1983 में से होकर मिन वादी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

आराजी खसरा संख्या 1984 में आता जाता हूँ जिस रास्ते से मिन वादी अपने खेत में ट्रैक्टर,ऊटगाडी, बैलगाडी इत्यादि निकाल कर ले जाता रहा हूँ।

उक्त रास्ता का सदैव सदैव से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये नही है इसलिये आराजी खसरा संख्या 1983 रकबा 0.3900हे0 में से 15 फुट चौडा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है प्रार्थी रास्ता चाहता है उसकी कीमत नियमानुसार जितनी भी बनती है उसको अदा करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 1984 रकबा 1.3100हे0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर के लिये आराजी खसरा संख्या 1983 रकबा 0.3900हे0 वाके ग्राम ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास में से 15 फुट चौडा रास्ता कायम कराया जाकर रास्ता घोषित किया जावे तथा 15 फुट चौडा रास्ता के कीमत जमा कराकर रास्ते भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया वादी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के जितने फुट का रास्ता चाहता है उतनी भूमि की सरकारी कीमत जमा करा देता है तो कानूनन प्रतिवादी अपनी आराजी के लिये प्राप्त कर सकता है। रास्ता कितना चौडा होगा वो न्यायालय श्रीमान के विवके के उपर निर्भर है यदि वादी को रास्ता कायम किया जाता है। तो मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। तथा तहसीलदार किशनगढबास से मौका रिपोर्ट दिनांक 811 दिनांक 11.4.22 प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी ख0न0 1983 में 0.39 हे मे से लगभग 2 हेयर भूमि पर व ख0न0 1984 में 1.31 में से लगभग 1 एयर भूमि पर कदीमी रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है व वर्तमान में ग्रामीणो की आवाजाही के लिए चालू है। मौके पर अप्रार्थी नही मिला उपस्थित ग्रामीणो ने बताया कि अप्रार्थी जसलमेर मे रहता है। तथा विवादित आराजी मौके पर रास्ते के काम आती है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि आराजी ख0न0 1984 रकबा 1.1300हे0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला के लिये आराजी ख0न0 1983 रकबा 0.3900हे0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास मे से 15 फुट रास्ता कायम कराया जाकर रास्ता घोषित किया जावे। तथा 15 फुट चौडा रास्ता के कीमत जमा कराकर रास्ते भूमि का इन्द्राज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2073–76 के आराजी ख0न0 1.3100 ढहरी प्रार्थी वलीमोहम्मद पुत्र हान्डा सा0देह खातेदार का 1/2 हिस्सा में से 0.02हे0, भूमि तथा ख0न0 1983 रकबा 0.3900 हे0 मे से 2 हेयर जमीन प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु चाही गई है। अप्रार्थी सं0 2 तहसीलदार ने अपने जवाब में भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। जवाव में भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। तहसीलदार किशनगढबास ने अपनी मौका रिपोर्ट प्रार्थी से नियमानुसार राशि बाबत रास्ता जमा कराकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी आवागमन का विवादित रास्ता के सिवाय अन्य कोई रास्ता भी नही है। तथा विवादित आराजी पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर रास्ते बाबत काम में ली जा रही है। लेकिन अप्रार्थी सं0 2 विवादित आराजी की गैरखातेदार है जिससे और अप्रार्थी स्वयं की आराजी को तथा अप्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराना चाहता है। लेकिन आराजी गैरखातेदारी मे दर्ज तथा मौके पर रास्तें के काम आमजन के भी उपयोग उपभोग मे आ रही है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एव रिपोर्ट तहसीलदार तथा जबाब के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 1984 रकबा 1.3100 हे0 में से 1 एयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी को रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार अप्रार्थी सं0 1 की आराजी ख0न0 1983 रकबा 0.39 हे0 किस्म गैरखातेदारी में से लगभग 2 एयर भूमि को गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)